कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक : स्थापना/गार्ड/2020/42 *दिनांक : 19-03-2020*

– : : आम सूचना : :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र कमांक 08/पी.आई./2020/दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के कार्यदिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी।

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरणों
3. आदेश/स्थगत सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. अपील की दशा में सजा स्थगन प्रार्थना पत्र
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हों।

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियां सुनिश्चित की जाती हैं। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि
20–03–2020	15–05–2020
21–03–2020	16–05–2020
23–03–2020	18–05–2020
24–03–2020	19–05–2020
25–03–2020	20–05–2020
26–03–2020	20–05–2020
27–03–2020	22–05–2020
28–03–2020	21–05–2020
30–03–2020	22–05–2020
31–03–2020	26–05–2020

परिवर्तित तिथियां शीघ्र ही सीआईएस 3.0 पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबन्ध में कारणों को अंकित करते हुये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता हैं। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थित पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवें।

19/3/2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिलिपी – क्रमांक/1129-1132 दिनांक-19/03/2020

1. अधिवक्ता संघ, प्रतापगढ़ को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वें अपनें पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
2. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिरा बोर्ड पर चिपकायी जावें।
4. कार्यालय प्रति।

19/3/2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)